सं. ए. 12018/10/2014-एमएच-II/ वी.आई.

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली/7 मई, 2017

सूचना

मंत्रालय के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरोलॉजी, कोलकाता, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में प्रयोगशाला तकनीशियन, समूह 'ग' पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की यह मंत्रालय जांच कर रहा है। इस संबंध में प्रारूप भर्ती नियम तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

प्रारूप भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व, इस संबंध में सभी हितधारकों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर ऐसी सूचना अपलोड किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर टिप्पणियां, यदि कोई हैं, विचारार्थ आमंत्रित की जाती हैं। उक्त प्रारूप भर्ती नियमों के संबंध में निर्धारित अवधि में हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा नियम एवं अपेक्षानुसार विचार किया जाएगा।

टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा नं. 508, डी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001 में भेजी जा सकती हैं और सॉफ्टकॉपी barjmohan.meena@nic.in पर भेजी जा सकती हैं।

(बी.एल. मीना)
अवर सचिव
दूरभाष-23061436

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंडग्रेड , वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला तकनीशियन	18* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा' समूह ,ग ' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	पे मैट्रिक्स में लेवल-3 (21700-69100)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से विज्ञान विषय में 10+2 । (ख) राज्य चिकित्सा संकाय अथवा किसी सरकारी मान्यता प्राप्त सम्बंध संस्थान से मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक (डीएमएलटी) में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धतिभर्ती सीधे होगी या : ति द्वारा या प्रतिनियुक्तिप्रोन्न या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (विभागीय प्रोन्नति के लिय) (i) अतिरिक्त सीरमविज्ञानी अथवा वरिष्ठतम सहायक सीरम विज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष (ii) सहायक सीरम विज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता- सदस्य (iii) सहायक सीरम विज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता-सदस्य (iv) किसी अन्य सरकारी कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य विभागीय पुष्टि समिति (विभागीय पुष्टि के लिय) (i) अतिरिक्त सीरमविज्ञानी अथवा वरिष्ठतम सहायक सीरम विज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष (ii) सहायक सीरम विज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता- सदस्य (iii) सहायक सीरम विज्ञानी, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता-सदस्य (iv) किसी अन्य सरकारी कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा0 सं0 ए. 12018/10/2014-एमएच।।]